	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	फाल्गुन 08, शुक्रवार, *शाके* 1947- फरवरी 27, 2026 Phalguna 08, Friday, Saka 1947- February 27, 2026	

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि

जयपुर, विकास प्राधिकरण, जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 24, 2026

(जविप्रा अधिनियम की धारा 25(4) देखें)

संख्या जविप्रा/उपा-7/2025/डी-159 :-जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा)3(के अनुसरण में जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित आवासीय चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या 9/641क्षेत्रफल 270 व0मी0, जिसका भूउपयोग --मास्टर विकास योजना2025 व जोनल विकास योजना-04के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया है, का आवासीय से मिश्रित भू न प्रस्तावित किये जाने बाबत् अधिसूचना दिनांकउपयोग परिवर्त-18-07-2025 द्वारा आपत्तिसुझाव/ आमंत्रित किये गये थे। जिसमें 15 दिवस की निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति सुझाव/प्राप्त नहीं हुए। प्रकरण में भू उपयोग-परिवर्तन किये जाने की सशर्त स्वीकृति प्रदान की गई है।

<u>उपान्तरण</u>

जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 25 की उपधारा 1 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सृजित आवासीय चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या 9/641 क्षेत्रफल 270 व0मी0जिसका भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 व जोनल विकास योजना-04 के अनुसार मिश्रित दर्शाया गया है, का भू-उपयोग उपान्तरण मास्टर प्लान-2025 के अनुसार मिश्रित प्रयोजनार्थ किया जाता है।

यह अधिसूचना आज दिनांक 24.01.2026 को जारी की गई।

निशान्त जैन,
सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।